



2026:AHC:63056

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7305 वर्ष 2026

रामवीर बाबा @ रामदास बाबा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आशीष कुमार मिश्रा, शुभम कुमार दुबे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. श्री अजय मिश्रा को आशीष कुमार मिश्रा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, और श्री बी.पी. मोर्य, राज्य-प्रतिवादियों के लिए एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 328 वर्ष 2025 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 21/22 के तहत जमानत पर रिहा करने

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की प्रार्थना की गई है, जो मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मथुरा जिले के पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण इस मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के कब्जे से 160 ग्राम अल्प्राजोलम बरामद किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 और 52-ए के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। आवेदक, जो 06.07.2025 से जेल में बंद है, ने वचन दिया है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या के लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपों के अनुसार, आवेदक के कब्जे से 160 ग्राम अल्प्राजोलम बरामद किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 और 52-ए के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। आवेदक, जो 06.07.2025 से जेल में बंद है।

6. अभिलेख से परिलक्षित तथ्यों, प्रकृति और साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- **रामवीर बाबा @ रामदास बाबा** की गिरफ्तारी की स्थिति में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदारों के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन नहीं देगा, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को धमकी देना, या वादा करना ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले की सुनवाई (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। ट्रायल कोर्ट इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मार्च 26, 2026

आरकेएम

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”